दिनांक 24.02.2020 को अपराह्न 1:00 बजे सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 397वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति :

उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।

विशेष आमंत्रित सदस्य :

राज्य निदेशक,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
राज्य कार्यालय, बी0 भी0 कॉलेज, शेखपुरा, पटना।

क्रमांक	बैठक में रखे गये प्रस्ताव	बोर्ड का निर्णय
1.	गत बैठक में लिये गये निर्णय को सम्पुष्ट करने के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर तत्काल रोक लगाये जाने के कारण कंडिका–12(2) को छोड़कर गत बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।
2.	कार्यान्वयन की सूचना।	गत बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वियन से बोर्ड को अवगत कराया गया तथा अन्यान्य विषय में लिये गये निर्णय को रद्द किया गया। साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि पुनः इसकी समीक्षा करे।
3.	बैंक खाताओं के परिचालन की स्वीकृति देने के संबंध में।	बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 687 दिनांक 05.02.2020 के आलोक में उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं सहायक लेखा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से खादी बोर्ड एवं खादी भवन के बैंक खाताओं के परिचालन करने पर बोर्ड द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
4.	नव- निर्मित खादी मॉल में आधुनिक डिजाईन एवं बाजार मांग के अनुरूप 5000 पीस जेन्स खादी शर्ट रेडिमेड गार्मेन्ट्स तैयार करने के संबंध में।	राज्य के प्रमाणित खादी संस्थाओं से खादी वस्त्रों का क्रय कर 5000 पीस जेन्ट्स सूती खादी शर्ट LI सिलाईकर्त्ता फर्म हबिबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी एण्ड ग्रामोद्योग संघ से रेडिमेड गारमेन्ट्स तैयार कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। साथ ही आगे के लिए खादी मॉल की आवश्यकताओं का आकलन कर रेडिमेड गारमेन्ट्स स्टीचिंग हेतु निविदा के माध्यम से एजेन्सी/संस्थानों को सूचीबद्ध करने एवं दर का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।
5.	नव–निर्मित खादी मॉल के लिए बिक्री/बिलिंग, साफ सफाई एवं सुरक्षा आदि कार्य के लिए कार्यबल रखने के संबंध में।	वर्तमान में IDA/BIADA द्वारा सूचिबद्ध (Empanelled) एजेंसी से खादी मॉल में रखे गये कार्यबल (बिलिंग कर्मी, बिक्री कर्मी, सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी) की सेवा अप्रैल, 2020 अथवा निविदा के माध्यम से नये एजेंसी के चयन की तिथि जो भी पहले हो, तक रखने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।
6.	नव- निर्मित खादी मॉल को सुचारू रूप से संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard	निम्न संशोधनों के साथ मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procudure) पर बोर्ड द्वारा

02)

	Operating Procudure) S O P की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृति दी गई :– **A. खादी संस्थानों के फैब्रिक एवं रेडिमेड वस्त्रों के लिए :** (i) खादी मॉल चालू होने की तिथि अर्थात दिनांक 05.11.2019 से अबतक खादी संस्थानों के MRP पर 05 प्रतिशत जोड़कर मॉल द्वारा MRP का निर्धारण किया जा रहा है। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगी। (ii) खादी मॉल द्वारा संस्थानों के MRP पर 10 प्रतिशत जोड़कर मॉल का MRP निर्धारित किया जायेगा। यह व्यवस्था दिनांक 01.04.2020 से लागू होगी। (iii) खादी मॉल प्रारम्भ होने की तिथि–05.11.19 से सामान्यतया खादी संस्थाओं द्वारा @ 10% MDA तथा होलसेल छूट @ 13% दिया जा रहा है। खादी मॉल के Feasiblity को ध्यान में रखते हुए दिनांक–05.11.2019 के प्रभाव से खादी संस्थाओं से आपूर्ति के विरूद्ध @ 15% MDA तथा @ 13% होलसेल छूट लेने का निर्णय लिया गया। (iv) क्रेता को बिहार की खादी उत्पाद पर MRP पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा अन्य प्रान्तीय खादी उत्पाद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। **B. ग्रामोद्योग उत्पाद :** (i) वर्त्तमान में मॉल चालू होने की तिथि 05.11.2019 से अबतक ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा दिए जाने वाला Discount भिन्न–भिन्न होने के कारण इन संस्थाओं द्वारा खादी मॉल को किये गये बिलींग के आधार पर भुगतान किया जायेगा। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगी। (ii) ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा उनके MRP पर कम–से–कम 20 प्रतिशत का Discount खादी मॉल को दिया जायेगा। खादी मॉल द्वारा ग्रामोद्योग उत्पाद को ग्रामोद्योग द्वारा निर्धारित MRP पर बिक्री की जायेगी। यह व्यवस्था 01.04.2020 से लागू होगी। C. खादी संस्थाओं द्वारा सामग्री आपूर्ति करते ही GST का भुगतान करना पड़ता है। अतएव GST की राशि खादी संस्थाओं को शत–प्रतिशत भुगतान करने का निर्णय लिया गया। Consignment के आधार पर माल लिया जाता है। अभी खादी मॉल में लगभग रू0. 5.00 करोड़ का सामान है। संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, लम्बे समय तक उनकी पूँजी ब्लॉक नहीं हो, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर जून, 2020 तक के लिए खादी संस्थाओं को सामान आपूर्त्ति के विरूद्ध 25 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में भुगतान किया जायेगा। D. आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद खादी संस्थाओं/ग्रामोद्योग इकाइयों से खादी मॉल शत

		प्रतिशत भुगतान कर सामग्री ले सकेगा। परन्तु इसप्रकार की कुल खरीद रू0 10.00 लाख की अधिसीमा के अन्तर्गत होगी।
7.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नव-निर्मित खादी मॉल में संबंधित कार्यबल (Man Power) उपलब्धता से संबंधित संशोधित निविदा प्रारूप (RFP) आमंत्रित करने के संबंध में।	तकनीकी निविदा योग्य नही पाये जाने के कारण निविदा रद्द की गई थी। RFP में संशोधन को बोर्ड द्वारा नोट किया गया तथा बोर्ड के अधिवक्ता से Vetting कराकर पुनर्निविदा के प्रकाशन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई।
8.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा नव-निर्मित खादी मॉल के तृतीय तल पर अवस्थित कैफेटेरिया का संशोधित निविदा प्रारूप (RFP) आमंत्रित करने के संबंध में।	तकनीकी निविदा योग्य नही पाये जाने के कारण निविदा रद्द की गई थी। RFP में संशोधन को बोर्ड द्वारा नोट किया गया तथा बोर्ड के अधिवक्ता से Vetting कराकर पुनर्निविदा के प्रकाशन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।
9.	3000 नग न्यू मॉडल चरखा क्रय करने हेतु RFP पर अनुमोदन देने की स्वीकृति देने के संबंध में।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को न्यू मॉडल चरखा की आवश्यकता का पुनः आकलन कर आगामी बोर्ड बैठक में रखने का निदेश दिया गया।
10.	अन्यान्य :- 1. PMCH मे फैशन शो आयोजन करने की स्वीकृति के संबंध में।	खादी मॉल के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न शहरों में फैशन शो आयोजित करने पर विचार किया जा रहा था। PMCH के फैशन सोसाईटी द्वारा PMCH के 95वें स्थापना समारोह के अवसर पर खादी थीम पर फैशन शो आयोजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में PMCH में फैशन शो आयोजन हेतु उद्योग विभाग द्वारा रू0 10.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। उद्योग विभाग से प्राप्त राशि में से 05(पाँच लाख) रूपये अग्रिम के रूप में PMCH के संबंधित संस्था को भुगतान कर दी गई है। शेष राशि का भुगतान खादी बोर्ड के परामर्शी GT India LLP से प्राप्त फैशन शो के सफल आयोजन संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया जायेगा। प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सचिव, उद्योग विभाग
-सह-
अध्यक्ष,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।

Scanned with CamScanner

04)

ज्ञापांक– प्र0/723 पटना, दिनांक– 27/02/2020

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, बी0भी0 कॉलेज, शेखपुरा, पटना/G.T India LLP Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2020
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– प्र0/723 पटना, दिनांक– 27/02/2020

प्रतिलिपि :–उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र0)/सभी सहायक लेखा पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.2020
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

Scanned with CamScanner

दिनांक–24.02.2020 को हुई बोर्ड की 397वीं साधारण बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन की सूचना :–

क्र0	प्रस्ताव संख्या	कार्यान्वयन की सूचना
1	04.	राज्य के प्रमाणित खादी संस्थाओं से खादी वस्त्र क्रय कर सिलाईकर्त्ता 1.1 फर्म से रेडिमेड गारमेन्टस तैयार कराया जा रहा है एवं नये एजेन्सी के चयन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	05.	खादी मॉल पत्रांक–190 दिनांक–29.05.2020 द्वारा बिलिंग, साफ–सफाई एवं सुरक्षा आदि कार्य के लिए दैनिक समाचार पत्र में Corrigedum-1प्रकाशित की गई है।
3	06.	S.O.P पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
4	07.	खादी मॉल पत्रांक–113 दिनांक–12.03.2020 द्वारा बिलिंग, साफ–सफाई एवं सुरक्षा आदि कार्य के लिए दैनिक समाचार पत्र में संशोधित निविदा प्रकाशित की गई।
5	08.	खादी मॉल पत्रांक–189 दिनांक–29.05.2020 द्वारा तृतीय तल कैफेटेरिया के लिए एजेन्सी चयन करने हेतु निविदा प्रकाशित की गई।
6	09.	कार्रवाई की जा रही है।

Scanned with CamScanner